न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–174/2026

C.N.R.NO–UPRP01-001028–2026

रजि० सं०–308/2026

फहीम उर्फ बाबू उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र श्री नबाव निवासी ग्राम जनेटा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **फहीम उर्फ बाबू** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–41/2026 धारा–305 ए, 331(3), 317(2) बी०एन०एस० थाना शाहबाद जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ रघिव खान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने की आख्या व केस डायरी का अवलोकन किया।

3. अभियोजन के अनुसार वादनी कु० शाजिया निगार सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र शाहबाद जिला रामपुर में काउन्सलर के पद पर कार्यरत है। उसका मूल पता मकान नं० 178 नूर महल आवास विकास कालोनी रामपुर थाना सिविल लाईन रामपुर है। दिनांक 07.02.2026 को समय करीब 10.00 बजे अपने सरकारी आवास से अपनी डयूटी पर गयी थी। वह अपने सरकारी आवास में ताला बन्द करके गयी थी कि समय करीब 12.20 बजे दिन में उसे सूचना मिली कि उसके आवास में अज्ञात चोरो द्वारा ताला तोड़कर चोरी कर ली गयी है, सूचना पाकर वह अपने आवास पर आयी तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा पड़ा था और घर का सामान बिखरा पड़ा था। उसने अपना बैग चेक किया तो उसका निम्न सामान 1. सोने की चेन वजन 8 ग्राम 2. एक अंगूठी वजन 4 ग्राम 3. नकद 20000/–रूपये चोर चोरी कर ले गये तथा उसके आवास की ऊपरी मंजिल पर सुनिता पत्नी सतेन्द्र यादव L.H.V. के आवास का भी ताला तोड़ने का प्रयास किया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक 17.02.2026 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। उसके द्वारा कहीं कोई चोरी नहीं की गयी है, जो भी बरामदगी दर्शायी गयी है, वह पूरी तरह फर्जी है। उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। वह मजदूर व्यक्ति है तथा छोटे–छोटे बच्चे है। घटना स्थल सरकारी अस्पताल का क्वार्टर है, जहां चहल पहल रहती है, वहां से सामान चोरी करके ले जाना असम्भव है। मुकदमा उपरोक्त अज्ञात में दर्ज किया गया है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास भी है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आना और आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा दौरान विवेचना गिरफ्तार किया जाना तथा उसके कब्जे से उपरोक्त मामले से सम्बन्धित एक चैन पीली धातु, एक प्लास व 600/—रूपये बरामद होना दर्शाया गया हैं।

7. आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना बताया गया, परन्तु पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 17.02.2026 से जेल में निरूद्ध होना बताया गया हैं।

8. मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये गुण—दोष पर कोई अन्तिम मत व्यक्त किये बिना जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

9. आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा रूपये 50,000/—का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा मुकदमे के विचारण में सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्षी के उपस्थित रहने पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

10. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः 16—03—2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०—2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.03.16 15:30:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court